have been felled for the stables of the army under authority from the Ministry of Defence;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the authenticity of the letter of the Defence Ministry was examined;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) if not, what action has been taken against those who are responsible for illegally felling the trees.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The State Government of Uttar Pradesh have informed that there is no news item regarding felling of trees worth Rs. 60 crores at Tihar in Hardoi District in the Lucknow edition of Navbharat Times dated 2nd March, 1992. However, a news item regarding felling of 60 lakhs trees at Kurseth in Hardoi district has appeared in Lucknow edition of Navbharat Times dated the 3rd March, 1992.

(b) On the basis of felling permit issued under the U.P. Trees Protection Act 1976, the Army Service Corps have felled 24 shisham trees on farmers land.

(c) Yes, Sir.

(d) Ministry of Defence had asked for issue of permit of 300 trees of Shisham, 10 Neem and Cular in Hardoi District of Uttar Pradesh.

(e) Does not arise.

राष्ट्रीय वन नीति

2874. **श्री विनोद शर्मा :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33 प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी केवल 19.44 प्रतिशत भूमि पर ही वन हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य निर्धारित करके कोई समयबद्ध योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना का का ब्यौरा क्या, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय वन नीति 1988 में परिकल्पना की गई है, कि देश की कुल भूमि के एक-तिहाई भाग में वन या पेड़ लगाने का राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सामाजिक और कृषि वानिकी सहित वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है । सातवीं योजना अवधि के दौरान, 8.8 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वन/वृक्ष लगाए गए थे और आठवीं योजना अवधि के दौरान, 9,950 करोड रुपए की अनुमानितलागत से 18 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वन/वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है ।

Bifurcation of National Wasteland Development Board

2875. SHRI RAM GOPAL YADAV: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that proposal to transfer the National Waste Land Development Board from the Environment and Forests Ministry to